

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-25वीं अगस्त 2019

सेवा में

डॉ अनंत सिन्हा,
रोड नं0-04 C, हाउस नं0-419 B
अशोक नगर, राँची।

बिषय :- मौजा-2725, प्लाट नं0-267B/P, खाता संख्या-7, 7, 7, 67, 67, वार्ड नं0-तुपुदाना, थाना-250, अशोक नगर, राँची में प्रस्तावित देव कमल हॉस्पिटल एवं रिसर्च हॉस्पिटल अस्पताल भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा ऑनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित देवकमल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, पिस्का मोड़, राँची से कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक-195 दिनांक-24.08.19 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा के उपरांत अस्पताल भवन में किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपाय के अतिरिक्त निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. भवन के सामने वाले भाग में कम से कम एक लाख लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों के द्वारा पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन के ऊपर कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता का एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. स्टेयरकेश लॉबी में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तल पर डिलिवरी आउटलेट के पास प्रत्येक तलों पर दो-दो अदद डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज की व्यवस्था की जाय।
5. डिलिवरी आउटलेट के पास प्रत्येक तलों पर दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के सामनेवाले भाग में कम से कम दो अदद यार्ड हाईड्रैण्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
7. पूरे भवन को स्वचालित स्पिंकलर से सुरक्षित किया जाय।
8. पूरे भवन को एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर एण्ड अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
9. 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. 450 Lpm क्षमता का एक टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
14. लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. फायर स्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
16. फायर स्केप रूट वाली लॉबी के प्रत्येक तलों में कम से कम दो घंटा अग्निरोधी स्वचालित फायर चेक डोर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर रखी जायेगी।

18. 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पेशेंट बेडरूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाँय।
19. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
20. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अथवा 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
22. ओ0टी0 रूम/लैब में 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद CO₂ अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. Manually Operated Electrical Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
26. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
27. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
28. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
29. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
30. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(श्री सुधीर कुमार वर्मा),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।